

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.5(1)(2)नपा/रानिआ/97/ 5234

दिनांक: 30/10/14

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) जालौर।

विषय :- नगर निकाय चुनाव में गुर्जर जाति के आरक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 17401 दिनांक 13.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख हैं कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.2009 के द्वारा 'गुर्जर' एवं 3 अन्य जातियों को राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़े वर्ग (SBC) का सृजन किया गया है।

चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में SBC के लिए सीटों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रेषित अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की अद्यतन सूची में 'गुर्जर' सहित SBC की अन्य जातियां भी सम्मिलित हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख हैं कि, नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर ओबीसी या एसबीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने हेतु एसबीसी के उम्मीदवार को पात्र माना जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाली)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमांक: एफ.5(1)(2)नपा/रानिआ/97/ 5235-36

दिनांक: 30/10/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर, झुंझुनूं, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।
2. श्री सुशील शर्मा, महामंत्री, राजस्थान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव